2023/110

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट
श्री बसन्तलाल जैन निवासी वेरा की गली जावाल तहसील सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 19 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 15.03.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगरपालिका जावाल के गठन के बाद से नगरपालिका जावाल के क्षेत्राधिकार के तहत मौजूदा भवन/भूखण्ड में चल रहे निर्माण कार्य/प्रस्तावित निर्माण/अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी स्वीकृति/अनुमति पत्रों की प्रमाणित प्रति एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पत्रों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 15.03.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि नगरपालिका जावाल के गठन के बाद से नगरपालिका जावाल के क्षेत्राधिकार के तहत मौजूदा भवन/भूखण्ड में चल रहे निर्माण कार्य/प्रस्तावित निर्माण/अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी स्वीकृति/अनुमति पत्रों की प्रमाणित प्रति एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पत्रों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जावाल जिला सिरोही से सम्बन्धित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन जरिए पत्रांक/लो.सू.अ./2023/26 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:35:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner